

231

II/16/मं०/रीवा/2017/4356 (355)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा म०प्र०



1. राजेश कुमार नट पिता श्री बिशेषर प्रसाद नट(हरिजन)
  2. मंगलेश्वर प्रसाद नट पिता श्री बिशेषर प्रसाद नट( हरिजन)
- दोनो निवासी ग्राम अटरा,तहसील मनगंवा जिला रीवा म०प्र०  
.....आवेदकगण/निगरानीकर्ता

बनाम

1. गुलाबवती पाण्डेय पति राधाकृष्ण पाण्डेय उम्र 65 साल निवासी  
अटरा,पो०दुआरा,तहसील मनगंवा जिला रीवा म०प्र०  
.....अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

निगरानी बिरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल  
डेलही,तहसील मनगंवा जिला रीवा के सीमांकन  
प्रकरण क्रमांक 32ए-12/15-16 गुलाबवती  
बनाम शासन म०प्र०मे पारित आदेश दिनांक  
14.7.016 के बिरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा  
50 म०प्र०भू०रा०सं०

महोदय,

निगरानी के तथ्य:-

अनावेदक ने राजस्व निरीक्षक मंडल डेलही,तहसील मनगंवा जिला  
रीवा म०प्र०के यहां ग्राम अटरा की आराजी नम्बर 254/1 और 254/2  
के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया , जिस पर दिनांक 12.6.016  
को हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन किया गयाऔर 14.7.016 को राजस्व  
निरीक्षक द्वारा सीमांकन आदेश मौके पर कोई सीमांकन किये बिना ही  
पारित कर दिया गया, और यह पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर मान्य  
किया गया कि आवेदकगणो का मकान अनावेदक के उक्त सीमांकित

मंगलेश्वर


राजेश नट

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / अज्ञात / 2017 / 4356 ..... जिला सीवा .....

राजेश ..... विरुद्ध गुलाबवती .....

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <del>देवेंद्र मिश्रा</del> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त डेहरी तहसील मन्नावाँ के प्रकरण क्रमांक 32 / अ. 12 / 15-16 में पारित आदेश दिनांक 14-7-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-03-19 को कलेक्टर सीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	<p style="text-align: center;">             सदस्य         </p>

पारित कर दिया गया, और यह पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर मान्य किया गया कि आवेदकगणों का मकान अनावेदक के उक्त सीमांकित

अंगुली हस्ताक्षर

राजेश वट